Public Sector Units wi[illegible] Chief Executives

226. SHRI DIPEN GHOSH:
SHRI MOHAMMED AMIN:
SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 80 Public Sector Units are functioning without their Chief Executives:

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Prime Minister's Office have not approved these appointments; and

(d) if so, whether Government have any policy of privatisation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Petitions received in Prime Minister's Office against administration

227. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of petitions received in the Prime Minister's Office containing public grievances against the administration from January, 1987 to 31st March, 1988;

(b) the number of petitions disposed of during the period; and

(c) the number of petitions/complaints still pending and by when these will be disposed of?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The total number of petitions received during the period from January, 1987 to March 31, 1988 in Prime Minister's Office was 5,97,225. Out of these 3,22,497 cases were referred to the concerned authorities for taking appropriate action. The remaining cases being non-actionable and of ephemeral nature were filed.

(c) Does not arise.

Foreign Citizenship granted to Indian Citizens

228. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Indians who were granted citizenship of foreign countries alongwith the names of such countries during the years 1986-87; and

(b) the number of foreigners granted Indian citizenship during the same period alongwith names of those countries to whom these foreigners belonged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (PROF. K. K. TEWARI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सूखे से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

229. **श्री मिर्जा इर्शाद बेग :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे से प्रभावित राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता तथा सहायता अनुदान दिया गया और इस प्रकार की सहायता देने की शर्तें तथा निबन्धन क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों को दिये गए इस प्रकार के सहायता

ऋणों से उनकी प्रगति तथा विकास में बाधा पड़ेगी; और

(ग) इस संबंध में भावी योजनायें क्या है और राज्यों की मांगे क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट CXLVII, अनुबंध सं० 8]

(ख) और (ग) प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पद्धति का निर्धारण वित्त आयोग के परिनिर्णय द्वारा किया जाता है । राज्यों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् 7वें और 8वें वित्त आयोग ने वर्तमान पद्धति निकाली है जिसके अनुसार :

(i) सूखे पर व्यय के लिए--"... सम्बंधित राज्य अपनी योजना से योगदान दें, केन्द्रीय दलों और राहत से सम्बंधित उच्च स्तरीय समिति योगदान का आकलन करती है। लेकिन यह योगदान वार्षिक योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे उस वर्ष में राज्य के योजना परिव्यय के अतिरिक्त समझा जाए । राज्यों को यह योगदान दे सकने योग्य बनाने के लिए केन्द्र सहायता प्रदान करता है जिसे अग्रिम सहायता योजना माना जाता है । यदि केन्द्रीय दल और राहत से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय की आवश्यकता, योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत के भीतर ही पूरी न हो सकती हो तो अतिरिक्त व्यय आपदा को विशेष भीषणता के रूप में लिया जाएगा जो कि केन्द्र सरकार को, राज्य को इस अतिरिक्त व्यय की पूरी सहायता देने के लिए बाध्य करेगा । यह सहायता, आधी अनुदान और आधी ऋण के रूप में दी जाती है, और इसे राज्य की योजना सहायता में समायोजित नहीं किया जा सकता ।"

(ii) बाढ़, तूफान और अचानक आने वाली अन्य आपदाओं के पश्चात् राहत, मरम्मत और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के पुनःस्थापन से सम्बन्धित व्यय के लिए--"..., कुल व्यय के अंतर की अधिकता के 75 प्रतिशत तक गैर-योजना अनुदान के रूप में सहायता दी जाए । शेष 25 प्रतिशत का भार राज्य द्वारा उठाया जाए ताकि बेकार खर्चों को हतोत्साहित किया जा सके । केन्द्रीय सहायता को राज्य की योजना या योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है । .....यदि आपदा "अपूर्व प्रचण्ड" हो तो केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह सम्बन्धित राज्यों को सुझाए गए मानदंडों से भी अधिक उदार ढंग से सहायता बढ़ा दे ।"

दूसरे वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सीमांत धनराशि की अवधारणा को आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य है कि "... सामान्य से अधिक प्रचण्ड आपदाओं की स्थिति में सीमांत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए । केन्द्रीय सहायता केवल तभी प्रदान की जाए जब व्यय की आवश्यकताएं "सीमांत धनराशि" से अधिक हो जाएं ।"

जहां तक भावी नीति का सम्बन्ध है, 9वें वित्त आयोग से पहले ही कह दिया गया है कि "प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों द्वारा राहत व्यय के लिए वित्त व्यवस्था करने के संदर्भ में नीतियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और ऐसे परिवर्तन सुझाएं जिन्हें यह उचित समझता हो--" राज्य अपना दृष्टिकोण आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते है ।

Amount earmarked for transport, Irrigation and communication in U.P.

230. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the total amount earmarked for transport, irrigation and communication to Uttar Pradesh during the last 3 years;